

एस0जी0पी0जी0आई0 में निदेशक पद पर चयन हेतु आवेदन

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एस0जी0पी0जी0आई0) में निदेशक का पद आगामी माह में रिक्त होने जा रहा है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र ई-मेल अथवा स्पीड पोस्ट से प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को दिनांक 09.10.2019 तक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सूचना पूर्व में दी गयी थी।

2— उक्त पद पर नियुक्ति हेतु राजभवन, लखनऊ उ0प्र0 की वेबसाइट (www.upgovernor.gov.in) पर विज्ञापन संख्या—02/2019, दिनांक 05.10.2019 (प्रति संलग्न) के माध्यम से भी आवेदन पत्र माँगे गये हैं। अतएव इच्छुक अभ्यर्थी, जिसमें उक्त अभ्यर्थी भी सम्मिलित है, जो पूर्व में ई-मेल अथवा स्पीड पोस्ट से प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को अपना आवेदन पत्र प्रेषित किये हैं, राजभवन, लखनऊ की वेबसाइट पर अंकित विवरण के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तथा बायोडाटा अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ—226027 को दिनांक 21.10.2019 तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन एवं अपर निदेशक,
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

राज भवन लखनऊ

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उ.प्र. के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या- 02/2019

दिनांक- 05 अक्टूबर, 2019

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, जो कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (क्र. 30 सन् 1983) के अंतर्गत स्थापित है, के निदेशक की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाध्यक्ष के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

निदेशक अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु पैंसठ वर्ष पूर्ण करने तक जो भी पहले हो, के लिए पदभार ग्रहण करेगा।

निदेशक को किसी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था में आचार्य/सह आचार्य/उपाचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष अध्यापन अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, जिसमें कम से कम पांच वर्ष किसी विभाग में आचार्य के रूप में होना चाहिए। चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध, चिकित्सा शिक्षा अथवा लोक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा संस्था को इसके अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के रूप में चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जा सकता है।

निदेशक पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी, राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तथा जीवनवृत्त (02 प्रतियों में) अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ-226027 (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से प्रेषित कर सकते हैं। लिफाफे पर 'संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उ.प्र.) के निदेशक पद के लिए आवेदन' अवश्य लिखा जाये।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

www.upgov.nic.in

Upid- 144530 Dt. 05.10.2019

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उ.प्र.) के निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या-02/2019

दिनांक 05 अक्टूबर, 2019

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, जो कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (क्र. 30 सन् 1983) के अन्तर्गत स्थापित है, के निदेशक की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाध्यक्ष के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

निदेशक अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु पैंसठ वर्ष पूर्ण करने तक जो भी पहले हो, के लिए पदभार ग्रहण करेगा।

निदेशक को किसी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था में आचार्य/सह आचार्य/उपाचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष अध्यापन अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, जिसमें कम से कम पाँच वर्ष किसी विभाग में आचार्य के रूप में होना चाहिए। चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध, चिकित्सा शिक्षा अथवा लोक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा संस्था को इसके अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के रूप में चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जा सकता है।

निदेशक पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी, राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तथा जीवनवृत्त (02 प्रतियों में) अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ-226027 (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से प्रेषित कर सकते हैं। लिफाफे पर "संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उ.प्र.) के निदेशक पद के लिए आवेदन" अवश्य लिखा जाये।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

H. Rao

अपर मुख्य सचिव
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF
DIRECTOR, SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
LUCKNOW (U.P.)**

Advt. No. 02/2019

Dated 05 October, 2019

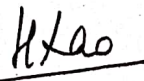
It is proposed to appoint the Director for the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow (U.P.), established under The SGPGIMS Act, 1983 (No. 30 of 1983) by the Visitor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 12 of the said Act.

The Director shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

The Director must possess the recognized post graduate medical qualification with a minimum of ten years teaching experience as Professor/Associate Professor/Reader in a medical college/institution out of which at least five years should be as Professor in a department. Preference may be given to those with extensive practical & administrative experience in the field of medical relief, medical research, medical education or public health organization and adequate experience of running an important scientific education institution either as its Head or Head of a Department.

The applicant for the post of Director may send his application in the prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" along with bio-data (in two copies) to the Additional Chief Secretary to the Governor, Rajbhavan, Lucknow- 226027 (Uttar Pradesh) on or before 21st October, 2019 by Registered/ Speed Post. "Application for the post of **Director, Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow (U.P.)**" should be super-scribed on the envelope.

Application received after the prescribed date shall not be considered.



Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh